

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

श्रीम
उपखण्ड

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---------------|-----------------------------------|
|---------------|-----------------------------------|

19.11.20

पत्रावली पेश हुनी / आधेवक्ता अर्थात्
 उप. आर्थे / पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों
 व प्रार्थना-पत्र को अवलोकन किया गया।
 अर्थात् में खाता ले- 74 में खाल्डू पिता हीरजी
 के स्थान पर धीरजी दर्ज दिखाई देने का
 अग्रतोष पाया है। खाल्डू इस्मकेजे में
 अर्थात् पर भी खाल्डू पिता हीरजी दर्ज
 नहीं होने से प्रत्येक पत्र विचार्य योग्य
 नहीं होने से अन्वीक्षा को अतिरिक्त किया
 जाता है। पत्रावली के फलतुम्हारे वक्ता
 से कम की जाया साखिल 4 पत्र है।
 कुल न्यायालय में हुना पा गया। पीए

12/11/19